**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1666**

**15 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**जिला अतिथि गृह और सर्किट हाउस आदि के लिए सीएसएस अथवा कोई विशिष्ट कार्यक्रम**

**1666 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राज्यों में, विशेषकर सिक्किम जैसे छोटे राज्य सहित, जिला अतिथि गृह या सर्किट हाउस के निर्माण, उन्नयन या नवीनीकरण के लिए कोई केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) अथवा कोई विशिष्ट कार्यक्रम है;
(ख) यदि हाँ, तो पात्रता मानदण्ड, वित्तपोषण प्रणाली तथा पिछले पाँच वर्षों में राज्य-वार संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या सहित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सिक्किम राज्य सरकार की ओर से किसी केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जिला अतिथि गृह के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(घ) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत ऐसी कोई योजना या कार्यक्रम नहीं है।
(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता है।